रजिस्ट्री सं. --डी(डीएन)--128/89 REGISTERED No. D—(DN)—128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1989 (आषाढ़ 10, 1911)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1989 (ASADHA 10, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	503
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	653
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	65
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	847
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II--खण्ड 1--क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) । . . .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II--खण्ड 3--उप खण्ड-(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	559
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	619
भाग III—खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	*
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	585
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	83
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	--

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	503
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	653
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	65
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	847
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authority (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	559
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	619
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	585
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	83
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION I]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1989

सं० 51-प्रेज/89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सवाई सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप अधीक्षक
69 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
उत्तरी त्रिपुरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 जुलाई, 1987 को टी० एन० वी० उग्रवादियों के एक गिरोह ने गांव शिव बाड़ी पर छापा मारा तथा आगजनी, लूटपाट और हत्याएं करने के बाद यह गिरोह गांव इशाना रोज़ा पाड़ा की ओर चला गया । गिरोह को रोकने और उसका सफाया करने के लिए पुलिस उप अधीक्षक श्री सवाई सिंह के नेतृत्व में, श्री ओम प्रकाश, श्री सबीर हुसैन और श्री रिछपाल सिंह, कांस्टेबलों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 26 कार्मिकों समेत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 69 बटालियन की 4 टुकड़ियां गांव इशान रोज़ा पाड़ा की ओर रवाना हुई । पुलिस दल घात लगाने के संभव स्थानों पर नजर रखते हुए चतुराई पूर्वक आगे बढ़ा और जब वे गांव के लगभग 500 गज दूर थे, तो उन पर उग्रवादियों ने अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी । भारी गोलाबारी के बावजूद और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री सवाई सिंह उग्रवादियों के निकट उस स्थान पर पहुंच गए, जहां से वे गोलियां चला रहे थे । उन्होंने अपने जवानों को अपने मोर्चे बदलने का आदेश दिया ताकि किसी प्रकार की जीवन हानि के बगैर उग्रवादियों पर कारगर रूप से गोली चलाई जा सके । इसके बाद वे उग्रवादियों की स्थिति का पूर्ण रूप से पता लगाने के लिए उनकी दिशा की ओर रेंग कर गये । इस प्रक्रिया के दौरान उनकी छाती में अनेक गोलियां लगीं, जिससे वे अनेक रूप से घायल हो गये परन्तु घायल होने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे । जब वे उग्रवादियों के गोलाबारी करने के मुख्य मोर्चे के ठीक नीचे पहुंचे और उन्होंने उग्रवादियों के मोर्चे की तरफ गोली चलाने के लिए अपना पिस्तौल निकाला तो वे गोली नहीं चला सके और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गयी ।

इस मुठभेड़ में श्री सवाई सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जुलाई, 1987 से दिया जाएगा ।

सं० 52-प्रेज-89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री ओम प्रकाश (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 820690135,
69वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
उत्तरी त्रिपुरा ।

श्री सुबीर हुसैन,
कांस्टेबल सं० 810696436,
69वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
उत्तरी त्रिपुरा ।

श्री रिछपाल सिंह,
कांस्टेबल सं० 810693605,
69वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
उत्तरी त्रिपुरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

15 जुलाई, 1987 को टी० एन० वी० उग्रवादियों के एक गिरोह ने गांव शिव बाड़ी पर छापा मारा तथा आगजनी, लूटपाट और हत्याएं करने के बाद इशान रोज़ा पाड़ा की ओर चला गया । गिरोह को रोकने और उसका सफाया करने के लिए पुलिस उप-अधीक्षक श्री सवाई सिंह के नेतृत्व में, श्री ओम प्रकाश, श्री सबीर हुसैन और श्री रिछपाल सिंह कास्टेबल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 26 कार्मिकों समेत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 69 बटालियन की 4 टुकड़ियां गांव इशान रोज़ा पाड़ा की ओर रवाना हुई । पुलिस बल घात लगाने के संभव स्थानों पर नजर रखते हुए चतुराईपूर्वक आगे बढ़ा और जब वे गांव के लगभग 500 गज दूर थे तो उन पर उग्रवादियों ने अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी । भारी गोलाबारी के बावजूद और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री सवाई सिंह उग्रवादियों के निकट उस स्थान पर पहुंच गये जहां से वे गोलियां चला रहे थे । उन्होंने अपने जवानों को अपने मोर्चे बदलने का आदेश दिया ताकि किसी प्रकार की जीवन हानि के बगैर उग्रवादियों पर कारगर रूप से गोली चलाई जा सके । इसके बाद वे उग्रवादियों की स्थिति का पूर्ण रूप से पता लगाने के लिए उनकी दिशा की ओर रेंग कर गये । इस प्रक्रिया के दौरान उनकी छाती में अनेक गोलियां लगीं, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए परन्तु घायल होने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे ।

कांस्टेबल ओम प्रकाश पुलिस दल की अगुआ टुकड़ी के एल० एम० जी० ग्रुप में थे । जब टुकड़ी पर भारी गोलाबारी हुई, तो उन्होंने सड़क की ओर भागते हुए उग्रवादियों के गोलाबारी करने के मोर्चे पर अपनी एल० एम० जी० से गोलियां चलाते हुए जबाबी आक्रमण शुरू कर दिया ।

उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया से उग्रवादियों के होंसले पस्त हो गए और वे सही लक्ष्य पर गोली नहीं चला पाए । इस कार्रवाई में वे उग्रवादियों की गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई ।

छापे के लिए जाते समय कांस्टेबल सबीर हुसैन को जंगल में कुछ हलचल का संदेह हुआ । वे जल्दी से अपनी राइफल को गोली चलाने की स्थिति में लाये परन्तु घात में बैठे हुए उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोली चला दी । कांस्टेबल हुसैन की छाती में बायीं ओर गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गए, गोली से घायल होने की परवाह न करते हुए उन्होंने जवाब में गोली चलाई । तात्क्षणिक गोलीबारी के कारण, उग्रवादियों का एक दल सामना नहीं कर सका और अपने मोर्चे से कूदकर उस गहरे नाले से भाग गया जो उनके मोर्चे के पीछे था । । उनका बहुत अधिक रक्त बह रहा था फिर भी जब वे ऊंची जमीन के ठीक नीचे सड़क के मोड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ियों में से भारी गोलीबारी हो रही थी और उन्होंने उसी स्थान से गोली चलानी शुरू कर दी । अप्रत्याशित स्थिति में अचानक प्रतिक्रिया होने के कारण उग्रवादियों की गोलीबारी एक क्षण के लिए रुक गयी और उनके कंपनी कमांडर श्री सवाई सिंह को उग्रवादियों पर जवाबी आक्रमण करने के लिए योजना बनाने का अवसर मिल गया । रक्त की भारी क्षति होने और थकावट के कारण कांस्टेबल सबीर हुसैन बहुत कमजोर हो गये और वे खड़े नहीं रह सके । कांस्टेबल हुसैन की स्थिति को देखकर कांस्टेबल रिछपाल सिंह ने उसे आड़ में पीछे की ओर धकेल दिया । उन्होंने स्वयं कार्रवाई शुरू कर दी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली की गति के समान जाते हुए अपनी एस० एल० आर० से उग्रवादियों के मोर्चे पर गोलाबारी शुरू की । इसी दौरान उन्होंने देखा कि श्री सवाई सिंह उग्रवादियों के मुख्य मोर्चे के नीचे मृत पड़े हैं । कांस्टेबल रिछपाल सिंह अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए सामने आए और श्री सवाई सिंह के कंधे से सुबाह्य वायर लैस उतार लिया । जब कांस्टेबल ओम प्रकाश गोली के घातक प्रहार से गिर गए थे तो वे (रिछपाल सिंह) एक बार फिर पीछे भागे और मृत कांस्टेबल ओम प्रकाश के हाथों से एल० एम० जी० लेने में सफल हो गए । इस तरह उन्होंने वायर लैस सेट और एल० एम० जी० को उग्रवादियों के हाथों में जाने से बचाया ।

इस मुठभेड़ में श्री ओम प्रकाश, कांस्टेबल श्री सबीर हुसैन, कांस्टेबल और श्री रिछपाल सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्टता वीरता, साहस और उच्च कोटि का कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जुलाई, 1987 से दिया जाएगा ।

सं० 53-प्रेज/89—राष्ट्रपति त्रिपुरा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गोपाल सरकार,
कांस्टेबल सं० सी०/6741
टी० ए० पी०,
द्वितीय बटालियन,
अथर भोला, त्रिपुरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

8 जून, 1986 को कुछ सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा टी० ए० पी० शिविर के नजदीक उकेती डालने के प्रयत्नों के बारे में सूचना मिलने पर, श्री प्रफुल कुमार पाल, पुलिस उप-निरीक्षक ने उस सड़क पर, जिससे उग्रवादियों के गुजरने की संभावना थी, घात लगाने की योजना टी० ए० पी० की द्वितीय बटालियन के शिविर प्रभारी ने उपलब्ध पुलिस बल को दो ग्रुपों में विभाजित किया । एक ग्रुप का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया और दूसरे ग्रुप का नेतृत्व हैड कांस्टेबल चितरंजन पाल ने किया । कांस्टेबल गोपाल सरकार द्वितीय ग्रुप में था । इस ग्रुप को आगे दो ग्रुपों में विभाजित किया गया जिसमें कांस्टेबल गोपाल सरकार और तीन अन्य कांस्टेबल थे ।

पुलिस दल ने उस सड़क के साथ-साथ मोर्चा लगाया जिससे उग्रवादियों के जीप द्वारा गुजरने की योजना सूचित की गई थी । 8 जून 1986 को रात के लगभग 9.30 बजे एक जीप को जिसका रजिस्ट्रेशन नं० टी० आर० टी–1301 था, दक्षिणी त्रिपुरा जिले के उदयपुर की ओर जाते हुए देखा गया । हैड कांस्टेबल चितरंजन पाल के नेतृत्व वाले दल ने वाहन को रुकने का आदेश दिया लेकिन उग्रवादियों ने पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी । पुलिस दलों ने भी आत्मरक्षा में गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। तथापि कांस्टेबल गोपाल सरकार ने गोली चला कर और जीप के एक टायर को पंचर करके जीप को रोक दिया लेकिन उपद्रवी जीप के अन्दर से स्वचालित हथियारों से गोली चलाते रहे । उपद्रवियों द्वारा चलाई जा रही गोलियों को रोकने के लिए कोई दूसरा उपाय न पाकर श्री गोपाल सरकार अपनी राईफल से गोली चलाते हुए वाहन की तरफ भागे । इससे उपद्रवियों में घबराहट पैदा हो गयी और वे जीप से बाहर भागे और अन्य दो टी० ए० पी० दलों द्वारा की जा रही गोली बारी में फंस गए । इस प्रक्रिया में कांस्टेबल गोपाल सरकार का बायां पांव गम्भीर रूप से जख्मी हो गया जिसे बाद में उपचार के दौरान काट दिया गया । इस घटना में चार अपराधी मारे गए ।

इस मुठभेड़ में श्री गोपाल सरकार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा अन्य उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है ।प तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जून, 1986 से दिया जाएगा ।

सं० 54-प्रेम/89—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चन्द्रदेव यादव (मरणोपरान्त)
हवलदार,
अंचल गार्ड,
जिला लोहारदग्गा,
बिहार

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

9 अप्रैल, 1988 को श्री चन्द्रदेव यादव, हवलदार, अंचल गार्ड, लोहारदग्गा, खाना खाने अपने घर गए । घर पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनकी धर्मपत्नी श्री जगदीश राम के घर दूरदर्शन देखने गयी है और वे उसे बुलाने वहां गए । जैसे ही वे जगदीश राम के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रिवाल्वर और कटारों से लैस 10–12 उग्रवादी उस घर को लूट रहे हैं । हालांकि वे मानसिक रूप से या अन्य प्रकार से स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने तुरन्त स्थिति का सामना किया और निहत्थे तथा अकेले ही आतंकवादियों का मुकाबला किया । उन्होंने बहादुरी के साथ दो डकैतों को पकड़ लिया और साहस के साथ उनको दबोचा । इसी बीच अपने दो साथियों को छुड़ाने के उद्देश्य से डकैतों के कुछ साथियों ने हवलदार यादव पर दो गोलियां चलायी, लेकिन वे दोनों अपराधियों के साथ लड़ते हुए अपने आप को गोलियों से बचाने में सफल हो गए । इसी दौरान एक अपराधी ने हवलदार की छाती में कटार के घातक हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप वे भूमि पर गिर पड़े और बेहोश हो गए । इस स्थिति का फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल हो गए । हवलदार यादव जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, को तत्काल लोहारदग्गा अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया ।

इस मुठभेड़ में श्री चन्द्रदेव यादव, हवलदार ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए पुलिस बल के उच्चतम परम्पराओं के अनुरूप अपने प्राणों का बलिदान कर दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 अप्रल, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 55-प्रेज०-89—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री परितोष बासु राय,

सारजेन्ट,

जोरा बागान ट्रैफिक पुलिस गार्ड,

कलकत्ता ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 नवम्बर, 1987 को दोपहर के लगभग 1.55 बजे श्री परितोष बासु राय सारजेन्ट जब महात्मा गांधी मार्ग पर गश्त ड्यूटी के लिए तैनात थे तो उन्होंने गोली चलने की आवाजें सुनीं । वे गोली चलने के स्थान की ओर दौड़े और उन्होंने देखा कि लोग डर से आतंकित हो कर हड़बड़ी में इधर-उधर भाग रहे है और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं । भीड़ में से हो कर वहां पहुंचने पर श्री राय ने देखा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक वर्दीधारी नायक पागलपन में स्टेनगन से अंधाधुंध गोलियां चला रहा है । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए श्री राय बाईं तरफ के पैदल पथ से इमारतों के खम्बों, खड़ी कारों और वहां निर्मित अन्य ढांचों के पीछे छुपते हुए झुक कर, घुटनों के बल चल कर और रेंगते हुए अन्ततः पागल बन्दूकधारी व्यक्ति तक पहुंचे और पीछे से उस पर झपट पड़े । तब उन दोनों में बच निकलने के लिए धक्कामुक्की, हाथापाई और भिड़न्त हुई । श्री राय की पकड़ से अपने आप को नहीं छुड़ा पाने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नायक ने स्टेनगन की नाली का मुंह पीछे घुमा कर गोली चलाने का प्रयास किया, परन्तु श्री राय ने न केवल अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया बल्कि स्टेनगन की गोली के वार से भी स्वयं को बचा लिया और नायक पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया । इसी समय बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन का पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया और नायक से स्टेनगन छीन ली और अपराधी को अपनी अभिरक्षा में ले लिया । अपराधी से एक स्टेनगन, दो मैगजीनें, पहनी एक राउन्ड की और दूसरी 18 राउन्ड की, बरामद हुई ।

इस घटना में श्री परितोष बासु राय, सारजेन्ट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 नवम्बर, 1987 से दिया जाएगा ।

सं० 56-प्रेज०-89—राष्ट्रपति मेघालय पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विलियम रिचमंड मारबनियांग,

पुलिस अधीक्षक,

शिलांग ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 अक्तूबर, 1988 को रात के लगभग 8.30 बजे उनीयाम पुलिस थाने के आफिसर कमांडिंग से उनीयाम पेट्रोल पम्प पर रिवाल्वरों और अन्य घातक हथियारों से लैस 6/7 व्यक्तियों द्वारा डकैती डालने के बारे में सूचना प्राप्त हुई । डकैत हल्के नीले रंग की एम्बेसेडर कार में शिलांग की ओर नकदी ले कर भाग गए ।

यातायात पुलिस शाखा सहित, सभी पुलिस टुकड़ियों को सतर्क और सचेत रहने के लिए सावधान कर दिया गया था, क्योंकि आक्रमणकारी सशस्त्र थे । रात के 8.40 बजे श्री विलियम रिचमंड मारबनियांग, पुलिस अधीक्षक कस्बे के विभिन्न भागों में पुलिस दलों की गतिविधि की जांच करने के लिए गए । जब वे शिलांग के जिमखियेंग क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें अपने से आगे हल्के नीले रंग की एम्बेसेडर कार नं० डब्ल्यु एम० एफ-1968 दिखाई दी । जब कार भोंगथी मई बीट हाउस के नजदीक पहुंची तो बीट हाउस के कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की । कार की गति थोड़ी देर के लिए धीमी हुई परन्तु फिर वह आगे बढ़ गई । श्री मारबनियांग को इस बात का पक्का शक हो गया कि यह वही कार है, जिसकी वे तलाश कर रहे हैं । उन्होंने अपने कार ड्राइवर को निर्देश दिए कि वे अपनी कार को उस कार के आगे बढ़ा लें । लगभग 200 मीटर दूरी तक उस कार का पीछा करने के बाद वे उसके बराबर आ पहुंचे और उस कार को इसके आगे की तरफ उस समय रोकने के लिए मजबूर कर दिया जब उसके दायीं तरफ एक नाला पड़ता था ।

श्री मारबनियांग अपनी जीप से नीचे उतरे और उन्होंने कार के यात्रियों से पूछा कि उन्होंने बीट हाउस के पास कार क्यों नहीं रोकी, परन्तु कारवालों ने बताया कि कार चलाने वाला उनका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया था और वे उसे अस्पताल ले जाने के लिए बहुत जल्दी में थे इसलिए बीट हाउस पर तैनात पुलिस दल ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी थी । उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कार के ड्राईवर को कार के नीचे उतर जाने के लिए कहा और कार की इग्नीशन चाबी बाहर निकाल ली । उसके बाद उन्होंने अपने जीप ड्राईवर को बीट हाऊस जाने और वहां से कुछ पुलिस बल लाने को कहा ।

कार में पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने श्री मारबनियांग को धक्का देने के इरादे से कार का बायां दरवाजा एकाएक जोर से खोला परन्तु वे एक ओर हट गए और दरवाजे से बच गए । श्री मारबनियांग ने कार के दरवाजे पर लात मारी और अपराधी का हाथ पकड़ लिया । इसी बीच अपराधी ने उस पर एक राउन्ड गोली चलाई लेकिन वह चूक गई । श्री मारबनियांग उनमें से एक को कसकर पकड़ना चाहते थे किन्तु उसी क्षण राजू साहा नामक व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली और उन्हें गोली मारने की कोशिश की । स्थिति को नियंत्रण से बाहर महसूस करते हुए श्री मारबनियांग, पुलिस अधीक्षक सहायता के लिए चिल्लाए । श्री विलियम लामरे नामक एक व्यक्ति जो उधर से जा रहे थे, उनकी सहायता के लिए आए और दोनों ने अपराधी राजू साहा को निःशस्त्र कर दिया । इसी बीच एक दूसरा अपराधी कार से बाहर आया और उसने उन पर आक्रमण कर दिया परन्तु पुलिस अधीक्षक ने उसको एक ऐसी लात मारी कि वह चक्कर खाता हुआ वाहन के अन्दर जा गिरा । अपराधी ने एक और राउन्ड गोली चलाई इससे लामरे बाल-बाल बच गए । हथियार भी लामरे के चेहरे के इतना करीब था कि उसके रिकायल से उसका चेहरा और आंख की पलक जल और कट गई । अपराधी ने तत्काल एक चाकू निकाला परन्तु श्री मारबनियांग ने उसे निःशस्त्र कर दिया । हाथा-पाई के दौरान दोनों नाले में गिर गए । इसी बीच बीट हाऊस से वहां पुलिस पहुंच गई और उन अपराधियों को पकड़ लिया, जो पुलिस बल को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे । तीनों ही अपराधियों को पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से एक उस्तरा और एक .12 बोर कारतूस बरामद किया गया । चौथे अपराधी को दूसरे दिन प्रातः निरीक्षक एन० के० कलिता द्वारा पकड़ लिया गया । उसके बाद गिरफ्तार किए गए अपराधियों को सूचना प्राप्त होने पर उसी गिरोह के दो और व्यक्तियों को गुवाहाटी में गिरफ्तार किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री विलियम रिचमंड मारबनियांग, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 से दिया जाएगा ।

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० ब्रांच)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जून 1989

सं० 4/1-पी० यू०/89—श्री दिनेश गोस्वामी, सदस्य, लोक सभा ने 29 मई, 1989 से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है ।

आर० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1989

संकल्प

सं० ए० 11013/6/89-प्रशा० I—सरकार ने एक "वित्तीय नीति सम्बन्धी समिति" का गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) श्री एम० वेंकिटरमणन् — अध्यक्ष

(ii) डा० विजय केलकर — सदस्य

2. यह समिति :

(क) नरसिम्हा और आबिद हुसैन समितियों की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाइयों की स्थिति पर विचार करेगी और अधिक कुशल, उत्पादक और आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसका सुझाव देगी और इसके साथ-साथ उपर्युक्त लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए विभिन्न आवश्यक नीति सम्बन्धी, कार्यविधिक तथा अन्य उपायों की समीक्षा करेगी;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में अर्जुन सेनगुप्ता समिति पर की गई कार्रवाई तथा आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यविधिक सुधारों की स्थिति की समीक्षा करेगी तथा उसके सुधार के लिए उपाय सुझाएगी;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऋण प्रणाली तथा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और दक्षता में संबंध में पहले ही उठाए गए विभिन्न कदमों की समीक्षा करेगी ;

(घ) जब भी उचित समझेगी, केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित खर्च की मानिटरिंग, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के उपायों की समीक्षा करेगी और इस सम्बन्ध में सुझाव देगी तथा विभिन्न मंत्रालयों में योजना और गैर-योजना दोनों तरह के खर्चों पर अत्यधिक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के साधनों का पता लगाएगी;

(ङ) उन्नत कर-संग्रह तथा अर्थ-व्यवस्था की उच्च लागतों में कमी करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के सुधारों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई को अद्यतन करेगी;

(च) अन्य उन मामलों पर भी विचार करेगी जो प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर भेजे जाएंगे ।

3. उपर्युक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए यह समिति भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों और इनकी एजेंसियों में उपलब्ध सूचना और विशेषज्ञता प्राप्त करेगी और यदि आवश्यक होगा तो ऐसे अध्ययनों को प्रायोजित करेगी ।

4 (क) यह समिति सलाहकार समिति के रूप में होगी और अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करेगी ।

(ख) यह समिति, जब कभी आवश्यक हुआ तो महत्व के मामलों पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(ग) यह समिति 31 दिसम्बर, 1989 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

5. यह समिति नियम निर्धारित करने और इसके समक्ष भेजे गए विभिन्न मामलों पर विशेष सुझाव प्राप्त करने के लिए अपने कार्यविधिक नियम बनाएगी ।

6. इस समिति को मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आदेश :

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सम्बन्धितों को भेजी जाए ।

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

(योजना आयोग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 मई 1989

संकल्प

सं० एम-13043/12(7)/87-कृषि—यह निर्णय लिया गया है कि डा० टी० वी० एस० राव, प्रभारी निदेशक, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर-530003, के स्थान पर डा० बी० भुयान प्राचार्य कृषि अर्थशास्त्र, उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय, भुवनेश्वर-751003, भारत सरकार योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के द्वारा गठित संकल्प सं० एम-13043/12/87-कृषि द्वारा गठित जोन-7 पूर्वी पठार और पर्वतीय प्रदेश के लिए योजना टीम के तत्काल प्रभाव से सदस्य सचिव होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आयोजना टीम के अध्यक्ष और सदस्यों, सभी सम्बन्धित मंत्रालयों और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।

जगदीश चन्द्र अग्रवाल
निदेशक (प्रशासन)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 मई 1989

सं० एफ० 11(1)/88-वि० स० स्की० का० स०—उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति का गठन तारीख 9-7-1981 के संकल्प द्वारा किया गया था ।

और उपरोक्त संकल्प के अनुसरण में तारीख 12-2-1986 की अधिसूचना द्वारा वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति दो वर्ष की अवधि के लिए बनाई गई थी ।

और वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की अवधि, तारीख 10 मार्च, 1988 की अधिसूचना सं० एफ० 6 (34)/81-कान्सें० द्वारा तारीख 12-2-1988 से छह मास के लिए और तारीख 25 अगस्त, 1988 की अधिसूचना सं० एफ० 6(34)/81-का० से० द्वारा दोबारा छह मास की अवधि के लिए बढ़ाई गई थी जो तारीख 11-2-1989 को समाप्त हो गई है तथा उक्त समिति का पुनर्गठन अन्तिम रूप दिए जाने के लिए विचाराधीन है ।

अतः अब राष्ट्रपति, ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ई० एस० वेंकटरामय्या हैं कि अवधि तारीख 12-2-1989 से और छह मास की अवधि के लिए बढ़ाते हैं ।

चि० प्रभाकर राव, विशेष सचिव

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नियम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जुलाई 1989

सं० 5/6/89-के० से०-(1)—निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड-1) की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1989 में ली जाने वाली सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालय की सहमति से सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग 1

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग 2

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का (समेकत ग्रेड-2 तथा 3)

वर्ग 3

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग 4

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड क तथा ख

वर्ग 5

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड

वर्ग 6

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग 7

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग 8

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड-1

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

3. नीचे कालम 1 में उल्लिखित स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त ग्रेडों और सेवा के अस्थाई अधिकारी जो 1 जुलाई, 1989 को और कालम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
1	2	3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग-I
सामान्य संवर्ग का ग्रेड-IV आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' का साइफर उपसंवर्ग का ग्रेड-II	सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में अथवा आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II में अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के साइफर संवर्ग के ग्रेड II में अथवा ऊपर के सभी ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग-II

1	2	3
रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–II ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग–III
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग–IV
भारतीय विदेश सेवा 'ख' का आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग–V
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग–VI
रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड IV ग्रेड 'ग' में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा।	वर्ग-VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक आशुलिपिक ग्रेड–II	आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड 'ग' अथवा आसूचना ब्यूरो की आशुलिपिक ग्रेड सेवा के आशुलिपिक II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-VIII

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई और उस ग्रेड में उसने कम से कम 4 वर्ष अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

टिप्पणी 1 :—ऊपर के कालम में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवा कालम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

परन्तु यह कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिनको संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त किया गया हो और जो कालम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखते हैं।

टिप्पणी 2 :—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा की शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उप सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वर्ग 1 और वर्ग 5 के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3 :—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, जो भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर है वर्ग 2 तथा 5 के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. दो वर्गों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र में अपनी पसन्द के अनुसार वर्गों का वरीयता-क्रम स्पष्ट रूप में लिख दें।

विशेष ध्यान :—उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वर्गों के वरीयता क्रम में परिवर्तन करने से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में लिखित परीक्षा के परिणाम के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हो जाता।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा

(12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा कोई भी किया हो तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

(1) उम्मीदवार भी इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न किया गया हो।

8. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के अनुबन्ध में निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

9. परीक्षा के बाद अंतिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों के आधार पर आयोग योग्यताक्रम उम्मीदवारों की सूची बनायेगा, और उसी क्रम से जितने उम्मीदवार अर्हता प्राप्त समझे जायेंगे उन्हें अपेक्षित संख्या तक प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए आयोग द्वारा अनुशंसा की जाएगी।

किन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा की कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उसका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार प्रत्येक वर्ग की सूची में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त हों।

नोट :—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

10. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसकी किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड आसूचना ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेवा मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" सूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II, अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस राशि के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

13. जिन उम्मीदवारों ने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की हो और जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवावधि के दौरान ली गई अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अनुभाग अधिकारी ग्रेड की (रेल बोर्ड) की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में न बैठ सके हों, यदि इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अन्तिम रूप से उनकी अनुशंसा की जाती है तो, उनकी वरिष्ठता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

जी० एस० पीरजादा, अवर सचिव

परिशिष्ट—

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी :—

भाग 1(क) :—नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा।

टिप्पणी 1 :—वर्ग 4, 5, 6 और 7 हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अर्हक आशुलिपि-परीक्षण देना होगा किन्तु जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं केवल उन्हीं के उत्तर-पत्रकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :—उम्मीदवार को अपने शार्टहैंड नोट्स को टाइपराइटर पर लिप्यन्तरण करना होगा और ऐसे उद्देश्य के लिए उन्हें अपने टाइपराइटर साथ लाने होंगे।

भाग 2 :— जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवेचना पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उनके सेवा अभिलेख मूल्यांकन के अधिकतम 150 अंक होंगे।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा :—

क्र० सं०	विषय
(1)	टिप्पणी तथा मसौदा लेखन, लेखनसार
(2)	(i) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग I और II के लिए)
	(ii) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग IV, V और VI के लिए)
	(iii) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग VIII के लिए)
	(iv) कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली (वर्ग III के लिए)
	(v) कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली I (वर्ग VII के लिए)
(3)	(i) भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद् कार्य प्रणाली तथा क्रियाविधि का सामान्य ज्ञान, (वर्ग I, II, III और VIII के लिए)
	(ii) भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद् कार्य प्रणाली तथा क्रियाविधि का सामान्य ज्ञान (वर्ग IV, V, VI तथा VII के लिए)
(4)	(i) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग I और VIII के लिए)
	(ii) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग II के लिए)
	(iii) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग IV के लिए)
	(iv) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग V के लिए)
	(v) रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग III के लिए)
	(vi) रेलवे वित्तीय तथा सेवा नियमावली—I (वर्ग VII के लिए)
	(vii) वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम (वर्ग VI के लिए)
(5)	सामान्य अध्ययन (कोड सं० 02) (वस्तुपरक प्रकार)

प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अधिकतम 100 अंक होंगे और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

टिप्पणी :—सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र में केवल वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न हों। विस्तृत विवरण के लिए [जिसमें नमूने के प्रश्न भी दिए गए हैं, कमीशन के नोटिस (अनुबंध 2)] उम्मीदवारों के सूचनार्थ विवरणिका को देखें ।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची में दिया गया है।

4. वर्ग 1—7 के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (2) तथा (3) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा । सभी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (1) तथा प्रश्न-पत्र (4) के उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे । प्रश्न-पत्र (2), (3) एवं (5) हिन्दी और अंग्रेजी में दिये जायेंगे तथा प्रश्न-पत्र (1) और (4) केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे ।

वर्ग 8 के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (3) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा, प्रश्न-पत्र (1), (2) और (4) के उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे। प्रश्न-पत्र (3) एवं (5) हिन्दी और अंग्रेजी में दिए जाएंगे तथा प्रश्न-पत्र (1), (2) और (4) केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे ।

टिप्पणी 1 :—उपर्युक्त सभी तीनों/दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए एक ही विकल्प होगा और विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए अथवा एक ही प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग नहीं ।

टिप्पणी 2 :— उक्त प्रश्न-पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने पद इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के कालम 8 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ।

टिप्पणी 3 :— प्रश्न-पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी ब्रेकिट में दे सकते हैं ।

टिप्पणी 4 :—यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से उत्तर माध्यम की परीक्षा में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

5. वर्ग 4, 5, 6, 7 के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे जो उम्मीदवार (2), (3) और (5) तीन प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में ही देने का विकल्प देंगे, उन्हें आशुलिपिक परीक्षा भी केवल हिन्दी (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि परीक्षा भी अंग्रेजी में देनी होगी ।

6. अंग्रेजी हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 50/65 मिनट में लिप्यंतर करना होगा ।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे ।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक अस्पष्ट लिखाई के लिए काट लिए जाएंगे ।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो ।

12. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

जहां नियमों, आदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें ।

टिप्पण तथा मसौदा, लेखन, सार-लेखन

उम्मीदवारों को विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में टिप्पण तथा मसौदे तैयार करने होंगे और साथ ही सारांश अथवा सार के लिए पैराग्राफ भी प्रश्न-पत्रों में रखे जाएंगे ।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए)

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(1) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका ।

(2) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां ।

(3) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका ।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग 8 के लिए)

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है । इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(1) अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका ।

(2) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां ।

(3) आसूचना ब्यूरो के स्थाई आदेश

कार्यालय पद्धति और कार्य प्रणाली (वर्ग 3 और 7 के लिए)

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है । इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(1) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका ।

(2) यह मंत्रालय द्वारा जारी की गई "संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों की पुस्तिका" ।

भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि का सामान्य ज्ञान

टिप्पणी :— यह आशा की जाएगी कि निम्नलिखित विषयों का ज्ञान हो—(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धान्त (2) लोक सभा तथा राज्य सभा में कार्य संचालन तथा पद्धति विषयक नियम, (3) भारत सरकार की कार्य प्रणाली का आयोजन—मंत्रालयों, विभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनके बीच विषयों को आबंटित करना और उनके परस्पर सम्बन्ध ।

सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग 1, 4 और 8 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकों की अनुशंसा की जाती हैं :—

(1) मूल तथा अनुपूरक नियम (ए०जी०पी० एण्ड टी० संकलन, चौधरी संकलन अथवा स्वामी संकलन)

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(3) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964

(4) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(5) सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा वृहत) 1963

(6) वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम, 1978

(7) केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 ।

सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग 2 और 5 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(1) वित्तीय तथा पूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन, चौधरी संकलन अथवा स्वामी संकलन)

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(3) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(4) सामान्य वित्तीय नियम (संशोधित तथा वृहत) संकलन, 1963

(5) वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम, 1978

(6) भारतीय विदेश (पी० एल०सी०ए०) नियम, 1961

(7) भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार

(8) सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना

(9) भारतीय विदेश सेवा (आचरण तथा अनुशासन) नियम, 1961 ।

रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग 3 और 7 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(1) भारतीय रेल सामान्य कोड—खण्ड—1

(2) भारतीय रेल स्थापना कोड—खण्ड—2

(3) रेल सेवाएं (आचरण) नियम, 1966

रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील नियम) 1968

वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम (वर्ग 6 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(1) मूल नियम तथा अनुपूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन, चौधरी संकलन अथवा स्वामी संकलन)

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(3) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(4) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964

(5) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972

(6) वित्तीय विनियम भाग 1 (संशोधित संस्करण 1963)

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र में वर्तमान समय की अभिरुचि तथा महत्व वाले विषय शामिल किये जाएंगे । इनमें पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताओं के ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के वर्तमान कार्यों के मेधावी ज्ञान जिसकी प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है, का पता लगाने के लिए प्रश्न भी रखे जायेंगे । उम्मीदवारों के उत्तर से प्रश्नों के बारे में उनके मेधावी ज्ञान का पता चलने की आशा की जाएगी, किसी पाठ्य पुस्तक, रिपोर्ट आदि के विस्तृत ज्ञान की नहीं ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 मई 1989

संकल्प

सं० सीओ/एनसी/18/89—भारत सरकार ने इस विभाग के 8 सितम्बर, 1988 के संकल्प संख्या सी०ओ/एन०सी/ए81/88 में आंशिक आशोधन करने का निर्णय किया है। आशोधन के कारण, पुनर्गठित राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष :

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री।

सदस्य :

2. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, सूचना और प्रसारण, नई दिल्ली।
4. सचिव, शिक्षा, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
8. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता।
10. महानिदेशक, आल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली।
11. महानिदेशक, दूरदर्शन, नई दिल्ली।
12. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
13. निदेशक, विकासात्मक शिक्षा एवं संचार एकक (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन), अहमदाबाद।
14. निदेशक, भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली।
15. अध्यक्ष, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
17. कमीशनर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।
18. चेयरमैन, सैंट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली।
19. प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
20. वित्त सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।
21. कार्यकारी अधिकारी, के० वी० आई० सी०, बम्बई।
22. उप-कुलपति, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम द्वारा डिंडुगल, तमिलनाडु।
23. कर्नाटक राज्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् के प्रतिनिधि

स्वैच्छिक अभिकरण :

24. केरल शास्त्र साहित्य परिषद्, त्रिवेन्द्रम।
25. कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद्, बंगलौर।
26. एकलव्य, भोपाल, मध्य प्रदेश।
27. देहली साइंस फोरम, नई दिल्ली।
28. नेहरू सैंटर, बम्बई।
29. टीचर्स साइंस फोरम, मणिपुर।
30. पश्चिम बंग विज्ञान मंच, कलकत्ता।
31. विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केन्द्र, अहमदाबाद।

वैयक्तिक संचारक :

32. प्रो० वी० एस० उदगाओंकर।

सदस्य सचिव :

33. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में रा० वि० प्रौ० सं० प० सचिवालय के प्रधान।

विचारणीय विषय :

1. विज्ञान और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण का विकास करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।

2. देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार सूचना नेटवर्क का तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार साफ्टवेयर के उत्पादन और प्रचार के लिए (सभी भारतीय भाषाओं में सभी प्रचार माध्यमों के लिए) नेटवर्क और कोई अन्य आवश्यक समझे जाने वाले नेटवर्क का निर्माण करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचनाएं स्थापित करना।

3. देश में अनेक स्वैच्छिक अभिकरणों तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की भागेदारी से उक्त कार्य करना और इन प्रयासों को जन विज्ञान आंदोलन का रूप देने में मदद करना।

4. क्र० सं० 23 से 32 तक परिषद् के सदस्यों की कार्य अवधि दो वर्ष होगी।

5. (क) परिषद् की कार्यकारी समिति में परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
3.	सचिव, सूचना एवं प्रसारण	सदस्य
4.	वित्त सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
5.	कर्नाटक के प्रतिनिधि (विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य परिषद्)	सदस्य
6.	विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि (स्वैच्छिक एजेंसी)	सदस्य
7.	प्रो० वी० एस० उदगाओंकर (वैयक्तिक संचारक)	सदस्य
8.	निदेशक (रा० वि० प्रौ० सं० प०) और प्रधान रा० वि० प्रौ० सं० प० सचिवालय	सदस्य सचिव

(क्र० सं० 5, 6 और 7 के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी। तत्पश्चात्, उनके स्थान पर तीन अन्य सदस्य उल्लिखित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के रूप में आयेंगे)।

(ख) कार्यकारी समिति परिषद् के निर्णयों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ग) रोजमर्रा के कार्यों के लिए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को कार्यकारी समिति के अधिकार प्राप्त होंगे।

(घ) कार्यकारी समिति के सदस्यों की कार्य अवधि परिषद् की उनकी सदस्यता के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

5. परिषद् और इसकी कार्यकारी समिति, विशिष्ट मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर सकती है।

6. परिषद् के सदस्य और कार्यकारी समिति के सदस्य नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने के हकदार होंगे।

7. परिषद् की कार्य अवधि छः वर्ष होगी। इसकी वर्ष में एक बार बैठक होगी और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक सचिवालय द्वारा सेवित होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र के प्रशासकों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों,

योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, प्रौद्योगिकी मिशनों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार तथा परिषद् के सभी सदस्यों, को भी भेजी जायें।

अरुण साहू, उप सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 मई, 1989

सं० इन्ड० गैस-9(2)-84,संकल्प सं० गैस-9(2)-84—दिनांक 17 नवम्बर, 1988 के क्रम में, भारत सरकार ने अब उपर्युक्त अधिसूचना में निम्न प्रकार से संशोधन करने का निर्णय किया है:—

संदर्भ	के लिए (स्थान पर)	पढ़ें
क्रम सं० 4	श्री आर०सी० अग्रवाल प्रबन्ध निदशक, मै० कर्नाटक आक्सीजन लिमि० व्हाइट-फील्ड रोड, महादेवपुरा पी० ओ० बंगलोर-48	श्री आर० सी० अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक मै० ऐशियाटीक आक्सीजन लिमि० 23, सिपकोट इन्ड० कम्पलैक्स राणेपट-632-403
क्रम सं० 5	श्री एस० बुधीराजा, प्रबन्धक निदेशक मै० इंडियन आक्सीजन लि० आक्सीजन हाउस पी-43, तारा तला रोड, कलकत्ता-700088	श्री एस० एस० प्रसाद, गैस प्रभाग के अध्यक्ष मै० इंडियन आक्सीजन लिमि० आक्सीजन हाउस, पी०-43 तारातल्ला रोड, कलकत्ता-कलकत्ता-700988
क्रम सं० 6	श्री डी० के० गर्ग, निदेशक दि इन्ड० गैसेस लि० 15 15, गणेश चन्द्र एवेन्यू कलकत्ता-700013	श्री डी० के० गर्ग, निदेशक इस्टर नेशनल इन्डस्ट्रीयल गैसेस लि० आजिमगंज हाउस, तृतीय तल 7, कमक स्ट्रीट, कलकत्ता-700017

नामिक के निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे:—

16 उप सचिव,
उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

संकल्प के अन्य भागों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को संचालित की जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(आई० एम० वाई० निदेशालय)

दिनांक 31 मई, 1989

संकल्प

सं० आई० एम०वाई०-9(1)कम्पस-88—भारत सरकार ने पम्प उद्योग के लिए अनुबन्ध-I के अनुसार दिनांक 25-4-88 से दो वर्ष की अवधि के लिए एक विकास नामिका का गठन करने का निर्णय लिया है।

नामिका की शर्तें अनुबंध 2 में दी गई है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचना के लिए प्रकाशित कर दिया जाए।

मदन मोहन, निदेशक (प्रशासन)

अनुबन्ध- 1

पावर ड्रिवन पम्प उद्योग के लिए पुर्नगठित विकास नामिका का गठन

क्र सं०	नाम और पदनाम	संगठन	
1.	श्री आर० एन० बसु उप महानिदेशक	त० वि० महा	अध्यक्ष
2.	श्री एम० सी० माथुर, उप सचिव	औ० वि० विभाग उद्योग भवन	सदस्य
3.	श्री एस० चन्द्रशेखरन निदेशक (मकै० इंजी०)	ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, मानक भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	श्री एस० के० अट्टर, संयुक्त निदेशक (मकै० इंजी०)	—वही—	सदस्य
5.	श्रीके०वी० श्रीनिवासन, निदेशक	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, टैकनालाजी भवन न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016	सदस्य
6.	निदेशक	सेन्ट्रल वाटर और पावर रिसर्च स्टेशन पी० ओ० खड़क वासला, पुणे-411024	सदस्य
7.	विकास आयुक्तलघु उद्योग का प्रतिनिधि	विकास आयुक्त लघु उद्योग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
8.	श्री आर० एस० कुमार मुख्य इंजीनियर (मकैनिकल सिस्टम)	न्यूक्लीयर पावर कार्पो० होमी बाबा रोड, कोलाबा बम्बई-400005	सदस्य
9.	श्री एस० के० गरियाली, वरिष्ठ प्रबन्धक (रोटटिंग इक्विपमेंट विभाग)	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजी० इंडिया हाउस, 9वां तल 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	सदस्य
10.	बी० जी० नलगीरकर, प्रबन्धक (रोटेटिंग इक्वीपमेंट विभाग)	—वही—	सदस्य
11.	श्री ए० चक्रवर्ती उप महाप्रबन्धक, मकैनिकल-एन० टी० पी० सी०	राष्ट्रीय ताप विद्युतनिगम लि०, एन० टी० पी० सी० स्क्वेयर, 62–69 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110010	सदस्य
12.	श्री डी० मजूमदार, उप मुख्य डिजाइन इंजीनियर्स, (मकैनिकल)	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०, एन० टी० पी० सी० स्क्वेयर 62–69 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110010	सदस्य
13.	श्री एस० एस० सिंह अध्यक्ष आई० पी० एम० ए०	माथुर एण्ड प्लेट (आई) लि०, हैमिल्टन हाउस 8, ग्रहाम रोड बलार्ड एस्टेट बम्बई-400038	सदस्य
14.	श्रीआर० टी० नमाशिवायम, अध्यक्ष, एक्सपोर्ट कमेटी, आई० पी० एम० ए०	बैरल्ट एण्ड क्राम्पटन इंजी० लि०, 39, इंडस्ट्रियल एस्टेट (एम) अम्बात्तूर, मद्रास-600096	सदस्य
15.	श्री सी० बी० साही, अध्यक्ष तकनीकी कमेटी, आई० पी० एम० ए०	निदेशक (मार्केटिंग) के० एस० बी० पम्पस लि०, पिम्परी पुणे-411018	सदस्य

1	2	3	4
16.	श्री के मुखर्जी अध्यक्ष आई एम आर सी कमेटी आई पी एम ए	माथर एण्ड प्लेट (आई) लि० उद्योग भवन, 29 वालचंग हीराचंद मार्ग बम्बई-400038	सदस्य
17.	श्री ए० के० पालित, प्रबन्धक (मार्केटिंग)	वरथिंगटन पम्पस (आई) लि० सदस्य 8, ए० जे० सी० बोस रोड, तृतीय मंजिल, कलकत्ता-700017	सदस्य
18.	श्री प्रेम किशोर उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०, उद्योग भवन, तिलक रोड, पुणे-411002	सदस्य
19.	श्री एस०के० सिन्हा, प्रबन्धक	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०, नैनी इलाहाबाद-211010	सदस्य
20.	श्री विजय भंगरा	भंगर ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, 111 अटलान्टा नरीमन पवाइंट बम्बई-400021	सदस्य
21.	श्री जे० गौरीशंकर	बैस्ट इंजीनियर्स, 46 थाडेगम रोड बेलसी प्लायम, कोयम्बतूर-641025	सदस्य
22.	श्री डी० के० अरोड़ा, मुख्य आर० एण्ड डी०, (हाईड्रालिक सिस्टम)	ज्योति लि०, इंडस्ट्रीयल ऐरिया पी० ओ० कैमिकल इंडस्ट्रीज वडोदरा-390003	सदस्य
23.	विकास अधिकारी	डी०जी०टी०डी०, उद्योग भवन	सदस्य-सचिव

अनुबंध-2

पावर ड्रिवन पम्प उद्योग के लिए पुनर्गठित विकास नामिका की शर्तें।

1. पिछली नामिका के निर्यात उपवर्ग द्वारा तैयार की गई "पम्प निर्यात के लिए योजना" की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुसरण करना।
2. देश में पम्प उद्योग के वर्तमान और भविष्य में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना।
3. विभिन्न प्रकार के पम्पों के लिए प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन चुने हुए उपक्रमों में अन्तर ढूंढना और भविष्य में तकनीकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना।
4. विभिन्न प्रकार के पम्पों के मानकीकरण के लिए वर्तमान स्तर की जांच करना और आगे मानकों के यौक्तिकरण प्रयोगकर्ताओं और भारतीय मानक संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके भविष्य के कार्यक्रम बनाना।
5. अनुसंधान, अभिकल्पन और विकास के विशिष्ट क्षेत्रों की सिफारिशें करना।
6. उद्योग के विकास से संबंधित अन्य कोई पहलू।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1989

संकल्प

सं० एक्स-19020/1/89-डी एम एस एंड पी एफ ए—संकल्प संख्या एक्स 19014/2/83-डी एम एस एंड पी एफ ए दिनांक 18-1-1984 के तहत गठित भारतीय फार्माकोपिया समिति की अवधि को दो वर्ष और बढ़ाकर 18-1-1991 तक किया जाता है।

समिति की अन्य निबंधन और शर्तें उसी प्रकार रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली और भारतीय फार्माकोपिया समिति के सभी सदस्यों (सूची संलग्न है) को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी विभागों को प्रतिलिपि मंजूरी रजिस्टर के लिए एक प्रतिलिपि।

अभिदिता किशोर, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 1989

सं० एफ 18-20/85 टी-0-7-टी-13—शैक्षिक योग्यता निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार निम्नलिखित अधीनस्थ पदों के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रोजगार के उद्देश्य से भारतीय नौसेना, वालसौरा द्वारा आयोजित भारतीय नौसेना के विद्युत यांत्रिकी (पी० डब्ल्यू) तथा विद्युत यांत्रिकी (आर) पाठ्यक्रमों को सहर्ष मान्यता प्रदान करती है :—

(क) विद्युत यांत्रिकी (पावर)	के सममूल्य	विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा
(ख) विद्युत यांत्रिकी (रेडियो)	के सममूल्य	इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी में डिप्लोमा
(ग) विद्युत यांत्रिकी (आयुध)	के सममूल्य	विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा

यह मान्यता 1-1-1980 से प्रभावी होगी।

सुन्दर सिंह, उप शिक्षा सलाहकार (तक०) तथा सदस्य-सचिव, शैक्षणिक योग्यता निर्धारण बोर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1989

संकल्प

सं० 1501/10/89-टी०वी०-I—देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क तथा डिश एंटिना प्रणाली की स्थापना करने से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और इस संदर्भ में उपयुक्त सिफारिशें करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा तत्काल निम्नलिखित अधिकारियों की एक अन्तर-विभागीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है :—

(1) संयुक्त सचिव (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
(3) संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
(4) संयुक्त सचिव इलैक्ट्रोनिकी विभाग	सदस्य
(5) संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय	सदस्य
(6) अंतरिक्ष विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(7) वायरलैस सलाहकार (डब्ल्यू०पी०सी० विंग) संचार मंत्रालय	सदस्य

(8) उप महानिदेशक (सी०एस०2) सदस्य
दूर संचार विभाग

(9) मुख्य अभियन्ता, सदस्य-संयोजक
दूरदर्शन महानिदेशालय

2. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(एक) इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क और डिश एंटिना प्रणाली का और अधिक विनियमित विकास करने की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं और यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों में क्या कोई त्रुटि है और स्थिति को कैसे सुदृढ़ और अधिक कारगर बनाया जा सकता है ;

(दो) इस बात की वांछनीयता पर या अन्यथा विचार करना कि क्या विदेशी उपग्रहों तक पहुंच वाली केबल नेटवर्किंग सहित या उसके रहित, डिश एंटिना प्रणालियां स्थापित की जानी चाहिए ;

(तीन) सरकारी/अर्ध सरकारी-स्वायत्त निकायों को उनमें कार्यरत विदेशी विशेषज्ञों के नाम के लिए, विदेशी उपग्रहों से टी०वी० सिगनल प्राप्त करने हेतु डिश एंटिना प्रणालियां स्थापित करने की अनुमति देना; और

(चार) किसी अन्य प्रासंगिक या संबंधित मामले में अध्ययन करना और सिफारिशें करना।

यह समिति फिल्म उद्योग, केबल टी०वी० नेटवर्क मालिकों आदि जैसे विभिन्न सम्बद्ध समूहों के मुद्दों पर भी विचार करेगी।

यदि अनावश्यक हो तो समिति सदस्यों को सहयोजित कर सकती है।

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसकी आवश्यकतानुसार बैठकें बुलाई जाएंगी।

4. समिति शीघ्रातिशीघ्र परन्तु अपनी प्रथम बैठक की तारीख से छः माह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

5. समिति स्वयं अपनी कार्य प्रणाली तैयार करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

र०च० सिनहा, संयुक्त सचिव.

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1989

सं० 315/3/89—एफ(पी)—फिल्म सलाहकार बोर्ड के गठन संबंधी 10 मई, 1989 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि उक्त अधिसूचना 15 मई, 1989 से प्रभावी होगी न कि 10 मई, 1989 से।

श्रीमती पी० मोहन, उप सचिव.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th June 1989

No. 51-Pres/89.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Sawai Singh, (Posthumous)
Deputy Superintendent of Police,
69 Battalion,
Central Reserve Police Force,
North Tripura.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th July, 1987 a gang of TNV extremists raided village Shib Bari and after indulging in arson, looting and killing, retreated towards village Ishan Roaza Para. To intercept and wipe out the gang, 4 Sections of 69 Battalion, Central Reserve Police Force under the command of Shri Sawai Singh, Deputy Superintendent of Police alongwith Shri Om Prakash, Shri Sabir Hussain and Shri Richpal Singh, Constables and 26 other Central Reserve Police Force personnel set off towards village Ishan Roaza Para. The Police party moved tactically covering possible ambush points and when they were about 500 yards away from the village, the extremists suddenly started heavy firing on the Police party. Inspite of heavy firing and without caring for his personal safety, Shri Sawai Singh managed to reach very close to the extremists firing position. He ordered his men to change their positions to avoid casualties and to bring effective fire on the extremists. Subsequently, he crawled to the direction of extremists to ascertain the depth of their position. During this process, several bullets hit him on his chest causing serious injuries but it did not deter him from advancing further. When he reached below the extremist's main firing position and took out his pistol to fire towards the extremists' position, he could not fire and died instantaneously.

In this encounter, Shri Sawai Singh, Deputy Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage, leadership and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th July 1987.

No. 52-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force:—

Name and rank of the Officer

Shri Om Prakash, (Posthumous)
Constable No. 820690135,
69 Battalion,
Central Reserve Police Force,
North Tripura.

Shri Sabir Hussain,
Constable No. 810696436,
69 Battalion,
Central Reserve Police Force,
North Tripura.

Shri Richpal Singh,
Constable No. 810693605,
69 Battalion,
Central Reserve Police Force,
North Tripura.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th July, 1987 a gang of INV extremists raided village Shib Bari and after indulging in arson, looting and killing, retreated towards village Ishan Roaza Para. To intercept and wipe out the gang, 4 Sections of 69 Battalion, Central Reserve Police Force under the command of Shri Sawai Singh, Deputy Superintendent of Police alongwith Shri Om Prakash, Shri Sabir Hussain and Shri Richpal Singh, Constables and 26 other Central Reserve Police Force personnel set off towards village Ishan Roaza Para. The Police party moved tactically covering possible ambush points and when they were about 500 yards away from the village, the extremists suddenly started heavy firing on the Police party. Inspite of heavy firing and without caring for his personal safety, Shri Sawai Singh managed to reach very close to the extremists firing position. He ordered his men to change their positions to avoid casualties and to bring

effective fire on the extremists. Subsequently, he crawled to the direction of extremists to ascertain the depth of their position. During this process, several bullets hit him on his chest causing serious injuries but it did not deter him from advancing further.

Constable Om Prakash was in the LMG group of the leading section of the Police party. As the section came under heavy fire, he immediately launched a counter offensive by rushing towards the road side firing from his LMG on the extremists firing position. His instantaneous retaliation unnerved the extremists and they were unable to fire accurately. In the process he was badly hit by the extremist's bullets.

While on way to raid, Constable Sabir Hussain suspected some movement in the jungle, he quickly brought his rifle to firing position, but the extremists sitting in ambush opened fire on the Police party. Constable Hussain was seriously injured with a bullet on the left side of his chest. Ignoring the bullet injury, he returned the fire. Due to instantaneous firing, one group of extremists was unable to withstand and they jumped out of their positions and escaped into the deep drain, which was behind their position. Although bleeding profusely, when he reached near the road bend just below the high ground, he realised that heavy firing was coming from the hillock and started firing on that position. Because of sudden retaliation from an unexpected position, there was a momentary lull in the firing of the extremists and his Company Commander Shri Sawai Singh could plan a counter attack on the extremists. Due to heavy loss of blood and exertion Constable Sabir Hussain became very weak and could not stand any more. Seeing the condition of Constable Hussain, Constable Richpal Singh pushed him behind the cover. He swung into action, moved with lightening speed from place to place and started firing with his SLR on the extremist's position. In the meantime he saw Shri Sawai Singh lying dead below the main firing position of the extremists. Constable Richpal Singh without caring for his personal safety, exposed himself and retrieved the portable wireless set from the shoulder of Shri Sawai Singh. When Constable Om Prakash was fatally hit he once again rushed back and managed to retrieve the LMG from the hands of the dead Constable Om Prakash. In this way he save the wireless set and the LMG from falling into the hands of the extremists.

In this encounter Shri Om Prakash, Constable, Shri Sabir Hussain, Constable and Shri Richpal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th July, 1987.

No. 53-Pres/89.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Tripura Police :

Name and rank of the Officer

Shri Gopal Sarkar,
Constable No. C/6741,
TAP, 2nd Battalion,
Atharabhola,
Tripura.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th June, 1986 on receipt of information about an attempt by some armed miscreants to commit dacoity near TAP Camp, Shri Prafulla Kumar Pal, Sub-Inspector of Police, planned to set up an ambush on the road on which the miscreants were likely to travel. The Camp-in-Charge of TAP, 2nd Battalion, divided the available Police force into two groups, one led by himself and the other by Head Constable Chittaranjan Pal. Constable Gopal Sarkar was in the second group. This group was further sub-divided into two groups which comprised Constable Gopal Sarkar and three other Constables.

The Police parties positioned themselves along the road on which the miscreants had reportedly planned to travel in a jeep. On 8th June, 1986, at about 2130 hours, a jeep bearing Registration No. TRT-1301 was seen moving towards Udaipur under South Tripura District. The party led by Head Constable Chittaranjan Pal ordered the vehicle to stop but the miscreants started firing towards the Police parties. The Police parties also returned fire in self-defence. Shri Gopal Sarkar, Constable, however managed to stop the jeep by firing and puncturing one of the wheels of the jeep. However, the miscreants continued firing with automatic weapons from inside the jeep. Finding no other way to stop the miscreant's firing, Shri Gopal Sarkar, while firing from his rifle, rushed towards the vehicle. This resulted in panic among the miscreants who rushed out of the jeep and were caught in the cross-fire of the two other TAP parties. In the process, Constable Gopal Sarkar sustained severe injuries on his left leg which was subsequently amputated during treatment. In the incident four criminals were killed.

In this encounter, Shri Gopal Sarkar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th June, 1986.

No. 54-Pres/89.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Chandradeo Yadav, (Posthumous)
Havildar,
Anchal Guard,
District Lohardagga,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 9th April, 1988, Shri Chandradeo Yadav, Havildar, Anchal Guard, Lohardagga, went to his house to take his meal. On reaching his house, he was told that his wife had gone to the house of one Shri Jagdish Ram to watch TV programmes and he went there to call her. As soon as he reached the house of Jagdish Ram, he found 10-12 dacoits armed with revolvers and daggers looting the house. Although he was not mentally and otherwise prepared to face this situation yet he immediately rose to the occasion and encountered with the desperadoes even though he was alone and unarmed. He bravely caught hold of the two dacoits and grappled with them courageously. In the meanwhile some associates of the criminals fired two shots on Havildar Yadav with a view to rescue their two associates but he managed to save himself while fighting with the criminals. While this was going on, one of the criminals gave a fatal daggar blow on the chest of Shri Yadav as a result of which he fell on the ground and became unconscious. Taking advantage of this, the criminals managed to escape. Havildar Yadav, who was grievously injured, was immediately rushed to Lohardagga Hospital, but on the way he succumbed to his injuries.

In this encounter Shri Chandradeo Yadav, Havildar, displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of a high order and sacrificed his life in the best traditions of the Police force.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th April, 1988.

No. 55-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Paritosh Basu Roy,
Sergeant,
Jora Bagan Traffic Police Guard,
Calcutta.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th November, 1987, at about 13.55 hours, when Shri Paritosh Basu Roy, Sergeant, was on patrol duty along Mahatma Gandhi Road, he heard sounds of firing. He rushed to the site of firing and saw people being frightened and paniky running helter-skelter and shop-keepers rolling down their shutters. Shri Roy made his way through the mob and saw one uniformed Central Reserve Police Force Naik, who seemed to have run amuck, was firing from a Stengun at random. Sensing the gravity of the situation, Shri Roy went along the left foot-path hiding himself behind the pillars of portico, parked cars and other available structures—all along bending, kneeling and crawling, and finally pounced upon the crazy gunman and grabbed him from behind. Then ensued a daring duel for survival—jestling, twisting and swerving. The Central Reserve Police Force Naik having failed to release himself from the clutches of Shri Roy tried to shoot him swinging the muzzle of his stengun backward, but Shri Roy not only tightened his grip but also evaded the moving muzzle of the stengun and successfully over-powered the Naik. At this time, a posse of policemen from Burrabazar Police Station reached the spot and seized the gun from the armed Naik. The accused was taken into custody. One Stengun, 2 magazines, one with 1 round and the other with 18 rounds of ammunition was recovered from the accused.

In this incident, Shri Paritosh Basu Roy, Sergeant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th November, 1987.

No. 56-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Meghalaya Police :—

Name and rank of the Officer

Shri William Richmond Marbaniang,
Superintendent of Police,
Shillong.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 5th October, 1988, at about 20.30 hours, information was received from Officer Commanding, Umiam Police Station, about a dacoity at the Umiam Petrol Pump by 6-7 persons armed with revolvers and other lethal weapons. The dacoits had decamped with the cash and headed towards Shillong in a light blue coloured Ambassador car.

All the Police units including Traffic Branch were alerted and cautioned to be careful since the assailants were armed. At 2040 hours, Shri William Richmond Marbaniang, Superintendent of Police, left to check the deployment of Police parties in different parts of the town. When he reached Jinghieng area of Shillong, he noticed a light blue coloured Ambassador car bearing No. WME-1968 ahead of him. When the car reached near Nongthymmai Beat House, the Beat House staff tried to stop it. The car slowed down a little but proceeded on. Shri Marbaniang had a very strong suspicion that this was the car for which they were looking for. He directed his driver to overtake the car. They overtook the car after a chase of about 200 metres and blocked it from the front after forcing the car almost into a drain on the right side.

Shri Marbaniang got down from his jeep and asked the passengers of the car as two why they did not stop at the Beat House. On this, the occupants of the car replied that, as one of their driver friend was seriously injured and they were in a hurry to remove him to hospital, the Police party at the Beat house allowed them to go. Shri Marbaniang asked the driver of the car to get down and pulled out the ignition key from the car. He then asked his jeep driver to go to Beat House to bring some force.

The person sitting at the rear of the car suddenly opened the left door with the intention to knock down Shri Marbaniang but he stepped aside and the door missed him. Shri Marbaniang kicked the door of the car and caught hold the hand of the culprit. In the meantime the culprit fired a round at him but it missed. Shri Marbaniang wanted to get hold one of them and at that moment one Raju Saha pulled out a pistol and tried to fire. Realising the situation going out of control, Shri Marbaniang shouted for help. Immediately one Shri William Lamare, who was passing by, came to his assistance and they disarmed the culprit Raju Saha. In the meantime another criminal came out of the car and attacked them but a well placed kick from Shri Marbaniang sent the criminal reeling into the vehicle. The criminal fired one more round which missed Shri William Lamare. The weapon was so close to his face that Shri Lamare's face and eye-lid were burnt and cut due to the recoil of the pistol. In no time the criminal took out a knife but was disarmed by Shri Marbaniang. In the struggle both of them fell into a drain. In the meantime force from the Beat House arrived and apprehended the criminals who tried to flee on seeing the Police force. In all, three culprits were apprehended and one razor, and one .12 bore cartridge were recovered from them. The fourth culprit was caught by Inspector N. K. Kalita on the following morning. Subsequently on getting information from the arrested criminals, two more persons of the same gang were arrested a Guwahati.

In this incident, Shri William Richmond Marbaniang, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th October, 1988.

S. NILAKANTAN,
Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 1st June 1989

No. 4/1-PU/89.—Shri Dinesh Goswami, member, Lok Sabha has resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with effect from 29th May, 1989.

R. D. SHARMA, Jt. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 26th March 1989

RESOLUTION

No. A.11013/6/89-Admn.I.—The Government have decided to constitute a "Committee on Financial Policy" which shall comprise the following :—

Chairman

(i) Shri S. Venkitaramanan.

(ii) Dr. Vijay Kelkar.

Member

2. The Committee shall :

(a) consider the status of actions taken on the reports of Narasimham and Abid Hussain Committees and suggest further steps to help in the evoluion of a more efficient, productive and modern economy and, inter-alia, review the various policy, procedural and other measures needed to be carried out to make for speedy attainment of the above goals;

(b) review the action taken in regard to Arjun Sengupta Committee on Public Sector, the status of various procedural improvements that have been initiated and suggest measures for improvement thereon;

(c) review, in consultation with RBI, various steps taken already in regard to the improvement and efficiency of the credit system and the banking sector;

(d) review and suggest, as appropriate, measures for monitoring, supervision and evaluation of expenditure financed by the Centre and explore means of establishing more effective control on expenditure both in respect of plan and non-plan in various Ministries;

(e) update the action taken in regard to the reforms of direct and indirect taxation with a view to attaining the objectives of improved tax collection and reduction in the high costs of the economy; and

(f) consider such other matters as may be referred to it by the Prime Minister from time to time.

3. In carrying out the above responsibilities, the Committee may draw on information and expertise available in the relevant Ministries/Departments and agencies of the Government of India and sponsor such studies as may be necessary.

4. (a) The Committee shall be advisory in nature and will submit its report to the Prime Minister.

(b) The Committee shall submit interim reports on matters of importance as and when found necessary.

(c) The Committee shall submit final report not later than the 31st December, 1989.

5. The Committee shall devise its own rules of procedure for assessing public opinion and obtaining expert suggestions on various matters referred to it.

6. The Committee will be serviced by the Cabinet Secretariat and the headquarters of the Committee will be in New Delhi.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

D. DAS GUPTA, Jt. Secy.

(PLANNING COMMISSION)

New Delhi-110 001, the 19th May 1989

No. M-13043/12(7)/87-Agri.—It has been decided that in place of Dr. T. V. S. Rao, in charge-Director, Agro-Economic Research Centre, Andhra University, Waltair-530 003, Dr. B. Bhuyan, Professor in Agriculture Economics, Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar-751003 will be the Member Secretary of the Planning Team for Zone-7-Eastern Plateau & Hills Region constituted vide the Government of India, Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988 with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL, Director (Administration).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 11th May 1989

No. F.11(1)/88-CILAS.—Whereas the Supreme Court Legal Aid Committee was constituted by a Resolution dated 9-7-1981.

AND WHEREAS by the Notification dated 12-2-1986, the present Supreme Court Legal Aid Committee was formed in pursuance of the above Resolution for a period of two years.

AND WHEREAS the term of the present Supreme Court Legal Aid Committee having been extended twice for a period of six months each with effect from 12-2-1988 vide Notification No. 6(34)/81-IC dated 10th March, 1988 and with effect from 12-8-1988 vide Notification No. F.6(34)/81-IC dated 25th August, 1988, has expired on 11-2-1989 and the reconstitution of the said Committee is pending finalisation.

NOW, therefore, the President in the circumstances, is pleased to extend the term of the present Supreme Court Legal Aid Committee headed by Justice Shri E. S. Venkataramiah for a further period of six months with effect from 12-2-1989.

CH. PRABHAKARA RAO, Special Secy.

OIL AND NATURAL GAS COMMISSION

CORRIGENDUM

No. O-12012/70/85-ONG-D-4.—The area of the Petroleum Exploration Licence for Bombay offshore granted to Oil and Natural Gas Commission vide Ministry of Petroleum and Natural Gas order No. O-12012/70/85-ONG-D-4 dated 6-4-1987 should be read as 78841 sq. kms. instead of 80368 sq. kms.

By order and in the name of the President of India.

GURDIAL SINGH, Desk Officer.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

RULES

New Delhi, the 1st July 1989

No 5/6/89-CSI.—The rules for a Combined S.Os/Stenographers (Grade "B"/Grade-I) Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in 1989 for additions in the Select List for the Section Officers' Grade and Stenographers' Grade I/Grade B of the Services mentioned below are with the concurrence of the Ministries concerned published for general information.

Category I

Section Officers Grade of the Central Secretariat Service.

Category II

Section Officers' Grade (Integrated Grade II and III) of the General Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B'.

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service.

Category IV

Grade A&B merged of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category IV

Grade I of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

Category VI

Grade B of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

Category VII

Grade B of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category VIII

Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix-I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary Officers of the grades and services mentioned in column 1 below who on 1st July 1989 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
1	2	3
Assistants' Grade of the Central Secretariat Service and Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistant's Grade of the Central Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be,	Category I
Grade IV of the General Cadre, Grade II of the Stenographers' cadre and Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade IV of the general cadre or in Grade II of the Stenographers' cadre or in Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B' or in two or all the above grades, as the case may be.	Category II

1	2	3
Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both, as the case may be.	Category III
Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service	Category IV
Grade II of the Stenographers' Cadre of the Indian foreign Service B.	Not less than 5 years' approved and continuous Service in Grade II of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Category V
Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Category VI
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/ Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Category VII
Assistant/Stenographers' Grade II of I. B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Assistants' Grade of I. B./ Stenographers' Grade II of I. B. Stenographers' Service.	Category VIII

Provided that in the case of a candidate who had been appointed to the Grades mentioned in Column 1 above on the results of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that grade.

NOTE 1.—Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible, and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in Column 2.

This however, does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre post or to another Service on "transfer" and do not have a lien in the Grades and Services referred to in Column 1.

NOTE 2.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers' of the Central Secretariat Stenographers' Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch B and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

NOTE 3.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

4. A candidate competing for two categories should specify in his application the Categories for which he wishes to be considered in the order of preference.

N.B.—No request for alteration in the order of preference for the Categories originally indicated by a candidate in his application would be considered unless a request for such alteration is received in the Office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the written examination in the Employment News.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or Pornographic matter in the script (s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable:—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be tebarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under the rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

8. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

9. After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for each category up to the required number.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List for each category irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service

on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service/Intelligence bureau or Stenographer Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Grade II of the I. B. Stenographers' Service or any post in the Indian Foreign Service Branch 'B' will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

13. The seniority of candidates who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962 namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who could not compete at the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination(s) and Section Officer Grade (Railway Board) Limited Departmental Competitive Examination(s) held during the period of their service in the Armed Forces shall be regulated in accordance with the special orders issued by the Government of India in this behalf, in case they are finally recommended for inclusion in the Select List for the Section Officer's Grade on the results of the examination.

G. S. PIRZADA
Under Secy.

APPENDIX-I

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I. (a) Written examination carrying a maximum of 500 marks in the subjects as shown in Para 2 below.

(b) A qualifying Shorthand test in Hindi or in English at 100 w.p.m.

NOTE I.—All the candidates competing for Categories IV, V, VI and VII will be required to take qualifying shorthand test at the time of the written examination. However, the scripts of only those candidates who qualify at the written examination will be valued.

NOTE II.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriter with them.

Part II.—Evaluation of record of service of candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examinations as may be fixed by the Commission at their discretion, carrying a maximum of 150 marks.

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of Services will be required to take the written examination, will be as follows :—

S. No.	*Subject*
1	2
	(1) Noting and Drafting Precis Writing.
	(2) (i) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Categories I & II)
	(ii) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Cttegories IV, V & VI)
	(iii) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Category VIII)
	(iv) Office Procedure & Practice. (For Category III)
	(v) Office Procedure & Practice. (For Category VII)
	(3) (i) General Knowledge of the Constitution of India and the Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament. (For Categories I, II, III & VIII)
	(ii) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament. (For Categories IV, V, VI & VII)
	(4) (i) General Financial & Service Rules. (For Categories 1 & VIII)
	(ii) General Financial & Service Rules. (For Category II)
	(iii) General Financial & Service Rules. (For Category IV)
	(iv) General Financial & Service Rules. (For Category V)
	(v) Railways Financial & Service Rules. (For Category III)
	(vi) Railway Financial & Service Rules. (For Category VII)
	(vii) Financial Regulations & Service Rules. (For Category VI)
	(5) General Studies (Code No. 02) (Objective Type)

Each paper will carry a maximum of 100 marks and will be of 2 hrs duration.

NOTE.—The paper in General Studies will consist of objective type question only. For details including sample questions please see Candidates' Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure-II).

3. Syllabus for the examination will be as shown in the Schedule.

4. Candidates competing for Categories I to VII are allowed the option to answer papers (2) and (3) either in English or in Hindi (Devanagari). Paper (1) and paper (4) must be answered in English by all candidates. Question papers for papers (2), (3) and (5) will be set both in Hindi and English and question papers for papers (1) and (4) will be set in English only.

Candidates competing for Category VIII are allowed the option to answer paper (3) either in English or in Hindi (Devanagari). Papers (1), (2) and (4) must be answered in English. Question papers for papers (3) and (5) will be set both in Hindi and English and question papers for papers (1), (2) and (4) will be set in English only.

NOTE 1.—The option will be the same for all the three/two papers mentioned above and not for different papers or different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Column 6 of the application form otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

NOTE 3.—Candidates exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version

NOTE 4.—If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper(s) of such candidates will not be valued.

5. Candidates competing for Categories IV, V, VI and VII who opt to answer the three papers (2), (3) and (5) in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Test also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the above papers in English will be required to take the Shorthand Test also in English only.

6. The Shorthand Test in English/Hindi would comprise dictation test at the speed of 100 words per minute for ten minutes which the candidate will be required to transcribe in 50/65 minutes.

7. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

8. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UPTO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING.

In addition to questions requiring candidate to prepare notes and drafts on specific problems, passages may also be set for summary or precis.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES

(For Categories I, II, IV, V & VI)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Some guidance in the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) 'Hand-Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES

(For Category VIII)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Some guidance on the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) Intelligence Bureau Standing Orders.

OFFICE PROCEDURE AND PRACTICE

(For Categories III & VII)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board) and Attached Offices—some guidance on the subject can be obtained from :-

(i) Manual of Office Procedure issued by the Ministry of Railways (Railway Board) current at the time of the Notification.

(ii) 'Hand-Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT

NOTE :—Knowledge of the following will be accepted (i) the main principles of the Constitution of India, (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and subordinate Offices and their relation *inter se*.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories I, IV and VIII)

The following books are recommended :—

(i) Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & Ts. compilation, Chaudhuri's compilation or Swamy's compilation).

(ii) The Central Civil Services Pension Rules, 1972.

(iii) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(iv) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(v) Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.

(vi) Delegation of Financial Power Rules, 1978.

(vii) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories II & V)

The following books are recommended :—

1. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.& Ts. compilation, Chaudhuri's compilation or Swamy's compilation).
2. The Central Civil Services Pension Rules, 1972.
3. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.
4. Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.
5. Delegation of Financial Power Rules, 1978.
6. Indian Foreign Service (PLCA) Rules, 1961.
7. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.
8. Assisted Medical Attendance Scheme.
9. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules, 1961

RAILWAY FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories III & VII)

The following books are recommended :—

(i) Indian Railway General Code Vol. I.

(ii) Indian Railway Establishment Code Vol. I.

(iii) The Railway Service (Conduct) Rules, 1966.

(iv) The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

FINANCIAL REGULATIONS AND SERVICE RULES

(For Category VI)

The following books are recommended :—

(1) Fundamental Rules and Supplementary Rules (A.G.P. & Ts. Compilation, Chaudhuri's Compilation or Swamy's Compilation).

(2) Central Civil Services Pension Rules, 1972

(3) Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(4) Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(5) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(6) Financial Regulations Part I (Revised Edition 1963).

GENERAL STUDIES

The paper will cover subjects of interest and importance at the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad and salient features of the Five Year Plan and Community Development Schemes, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text-book, report etc.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-16, the 30th May 1989

RESOLUTION

No. CO/NC/18/89.—The Government of India have decided to partially modify this Department's Resolution No. CO/NC/A81/88 dated the 8th September, 1988. With the modification, the reconstituted National Council for Science & Technology Communication will consist of the following :

Chairperson

1. Minister of State for Science & Technology.

Members

2. Secretary, DST, New Delhi.
3. Secretary, Information & Broadcasting, New Delhi.
4. Secretary, Education, New Delhi.
5. Chairman, University Grants Commission, New Delhi.
6. Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
7. Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi.
8. Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
9. Director General, National Council of Science Museums, Calcutta.
10. Director General, All India Radio, New Delhi.
11. Director General, Doordarshan, New Delhi.
12. Director, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
13. Director, Developmental Education & Communication Unit, (Indian Space Research Organisation), Ahmedabad.
14. Director, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi.
15. Chairman, Children's Book Trust, New Delhi.
16. Chirman, National Book Trust, New Delhi.
17. Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sanghathan, New Delhi.
18. Chairman, Central Board of Secondary Education, New Delhi.
19. Principal Information Officer, Press Information Bureau, New Delhi.
20. Financial Adviser, Department of Science & Technology New Delhi.
21. Executive Officer, KVIC, Bombay.
22. Vice-Chancellor, Gandhigram Rural Institute, Gandhigram, via Dindigul, Tamil Nadu.
23. Representative of Karnataka State S&T Council.

Voluntary Agencies

24. Kerala Sastra Sahitya Parishat, Trivandrum.
25. Karnataka Rajya Vijnan Parishat, Bangalore.
26. Eklavya, Bhopal, M.P.
27. Delhi Science Forum, New Delhi.
28. Nehru Centre, Bombay.
29. Teachers Science Forum, Manipur.
30. Paschim Banga Vigyan Manch, Calcutta.
31. Vikram A. Sarabhai Community Science Centre, Ahmedabad.

Individual Communicator

32. Prof. B. M. Udgaonkar.

Member Secretary

33. Head, NCSTC Secretariat in DST.

Terms of Reference

1. To do all that is necessary to popularise science and indigenous technology and to stimulate and nurture scientific and technological (S&T) temper among the people.

2. To establish appropriate organisational structures towards building an S&T communication information network and networks for production and dissemination of S&T communication software (for all media in all Indian languages and any others deemed necessary in the country.

3. To do the above by involving a large number of voluntary agencies and other relevant governmental and non-governmental organisations in the country, thereby helping these efforts into taking the shape of a people's science movement.

4. The terms of the members of the Council at serial numbers 23 to 32 will be for two years.

5. (a) The following members of Council will constitute the Council's Executive Committee (EC) :—

Chairperson

1. Secretary, DST

Members

2. Chirman, UGC.
3. Secretary, I & B.
4. FA, DST.
5. Representative of the Karnataka (State S&T Council).
6. Representative of the Vikram Sarabhai Community Science Centre. (voluntary agency).
7. Prof. B. M. Udgaonkar (Individual Communicator).
8. Director (NCSTC) & Head NCSTC Secretariat.

(The terms of membership of those at S. No. 5, 6 & 7 will be for two years thereafter they will be replaced by the another set of three individuals representing the sectors indicated)

(b) The Executive Committee will be responsible for implementing the Council's decisions/programmes.

(c) For day to day purposes, the Chairperson of the Executive Committee shall have the powers of the Executive Committee.

(d) The tensure of the EC members will be co-terminus with that of their membership of the Council.

5. The Council and its EC may invite other individuals as and when necessary for discussion on specific issues.

6. Members of the Council as well as those of the Executive Committee will be entitled to TA/DA as per rules.

7. The tensure of the Council will be for 6 years. It will meet once a year and will be serviced by a Secretariat in the Department of Science & Technology.

ORDER

ORDERED that this may be published in the gazette of India.

ORDERED also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments/Administrators of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat Vice President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Chairman Science Advisory Council to the Prime Minister. Scientific Adviser to Prime Minister, Adviser to Prime Minister on Technology Missions, and all the members of the Council.

ARUN SAHU, Dy. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi-110011, the 29th May 1989

RESOLUTION

No. Ind. Gas/9(2)/84.—In continuation of Resolution No. Ind. Gas/9(2)/84, dt. 17th Nov. 1988, Government of India have now decided to amend the above notification as under :—

Ref.	For	Read
S. No. 4	Shri R.C. Agrawal, Managing Director M/s. Karnataka Oxygen Ltd, Whitefield Rd. Mahadevapura P.O., Bangalore-48.	Shri R.C. Agrawal, Chief Executive, M/s. Asiatic Oxygen Ltd, 23, SIPCOT Indl. Complex, Ranepet-632403
S. No. 5	Shri S. Budhiraja, Managing Director, M/s. Indian Oxygen Ltd, Oxygen House, P. 43, Taratala Rd, Calcutta-700088	Shri S.S. Prasad, Vice President of Gas Divn. M/s. Indian Oxygen Ltd. Oxygen House, P. 43, Taratala Rd. Calcutta-700088.
S. No. 6	Shri D.K. Garg, Director, The Indl. Gases Ltd, 15, Ganesh Chandra Avenue Calcutta-700013.	Shri D.K. Garg, Director, International Industrial Gases Ltd. Azimganj House, 3rd Floor, 7, Camac Street. Calcutta-700017.

Following will be the additional member to the broad-base Panel :—

16. Deputy Secretary.
Ministry of Industry.
Deptt. of Industrial Development,
Udyog Bhawan, New Delhi-110011.

The other contents of the Resolution remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(IMY DIRECTORATE)

The 31st May 1989

RESOLUTION

No. IMY/9(1)/Pumps/88/1473.—Government of India have decided to reconstitute the Development Panel for Pump Industry as per the composition given in Annexure-I for a period of two years from 25th April, 1988.

The terms of reference of the Panel are given in Annexure II.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Admn.).

ANNEXURE-I

COMPOSITION OF THE DEVELOPMENT PANEL RECONSTITUTED FOR POWER DRIVEN PUMP INDUSTRY

Sl. No.	Name & Designation	Organisation	
1	2	3	4
1.	Shri R.N. Basu, Deputy Director General	Directorate General of Technical Dev.	Chairman
2.	Shri M.C. Thakur, Deputy Secretary	Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi	Member
3.	Shri S. Chandrasekharan, Director (Mech. Engg.)	Bureau of Indian Standards, 9, Bahadur Shah Jafar Marg, Manak Bhavan, New Delhi-110002	Member
4.	Shri S.K. Khattar, Joint Director (Mech. Engineering)	Do.	Alternate Member

1	2	3	4
5.	Shri K.V. Srinivasan, Director	Deptt. of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016	Member
6.	Director	Central Water & Power Research Station, P.O. Khadakwasala, Pune-411024.	Member
7.	Representative of the Development Commissioner (SSI)	Office of the Dev. Commissioner (SSI), Nirman Bhavan, New Delhi	Member
8.	Shri R.S. Kumar, Chief Engineer (Mech. Systems)	Nuclear Power Corporation, Homi Baba Road, Colaba, Bombay-400005	Member
9.	Shri S.K. Gariyali, Senior Manager (rotating & Equipment Department)	Engineers India Limited Engineers India House, 9th Floor, 1, Bhikaji Kama Place, New Delhi	Member
10.	Shri V.J. Nalgirkar, Manager (Rotating Equipment Department)	Do.	Alternate Member
11.	Shri A.K. Chakravorty, Deputy General Manager (Mech.)/HOD	National Thermal Power Corpn. Limited, NTPC Square, 62-69 Nehru Place, New Delhi-110019	Member
12.	Shri D. Majumdar, Deputy Chief Design Engineer (Mech.)	National Thermal Power Corpn. Limited, NTPC Square, 62-69, Nehru Place, New Delhi-110019	Alternate Member
13.	Shri S.S. Singh, President, IPMA	Mather & Platt (I) Limited, Hemilton House, 8, Graham Road, Ballard Estate, Bombay-400038	Member
14.	Shri R.T. Namasivayam, Chairman, Export Committee, IPMA	Best & Crompton Engg. Limited, 39, Industrial Estate (N), Ambattur, Madras-600098.	Member
15.	Shri C.V. Saha Chairman, Technical Committee, IPMA	Director (Marketing), KSB Pumps Limited, Pimpri, Pune-411018	Member
16.	Shri K. Mubayi, Chairman, IHRC Committee, IPMA	Mather & Platt (I) Ltd., Udyog Bhavan, 29, Walchand Hirachand Marg, Bombay-400038.	Member
17.	Shri A.K. Palit, Manager (Marketing)	Worthington Pumps (I) Limited, 8, AJC Bose Rd., 3rd Floor, Calcutta-17	Member
18.	Shri Prem Kishore Vice-President (Mktg.)	Kirloskar Bros. Ltd. Udyog Bhavan, Tilak Rd., Pune-411002	Member
19.	Shri S.K. Sinha, Manager	Bharat Pumps & Compressors Ltd., Naini, Allahabad-211010	Member
20.	Shri Vijay Bhangar	Bhangar Bros. & Co. Pvt. Ltd. 111, Atlanta Nariman Point, Bombay-400021	Member
21.	Shri J. Gowrishankar	Best Engineers, 46-Thadegam Road, Velandipalayam, Coimbatore-641025	Member

1	2	3	4
22.	Shri D.K. Arora. Chief-R & D (Hydraulic Systems)	Jyoti Limited, Industrial Area, P.O. Chemical Industries, Vadodara-390003	Member
23.	Development Officer	D.G.T.D., Udyog Bhavan. Bhavan. New Delhi.	Member Secretary

ANNEXURE-II

TERMS OF REFERENCES OF THE DEVELOPMENT PANEL RECONSTITUTED FOR POWER DRIVEN PUMP INDUSTRY

1. TO pursue the recommendations made in the Report on "Strategies for Export of Pumps" prepared by Export Sub-group of the previous Panel
2. TO consider the present status of the Pump industry in the country and formulate action Plan for its future growth.
3. TO evaluate the present level of technology for various categories of pumps, identify the gaps in selected sectors and forecast future technical needs
4. TO examine the present level of standardisation achieved for various categories of pumps and evolve future programme for further rationalisation of standards in consultation with the users and the Bureau of Indian Standards.
5. TO recommend specific areas of research, design and development
6. Any other aspects related to the growth of the industry.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th May 1989

RESOLUTION

No. X-19020/1/89-DMS & PFA.—The terms of the Indian Pharmacopoeia Committee constituted vide resolution No. X-19014/2/83-DMS & PFA dated 18-1-1984 is extended for a further period of 2 years i.e. upto 18-1-1991.

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

ORDER

ORDERED that a Copy of Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Government of India, Directorate General of Health Services, New Delhi and all the Members of the Indian Pharmacopoeia Committee.

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to the Manager, Government of India Press, Faridabad for publication in the Gazette of India for general information.

Copy to all the Sections in the Ministry of Health and Family Welfare.

Copy for sanction register

SMT. A. KISHORE
Under Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 17th May, 1989

No. F.18 20/85.T.7/.13.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the Electrical Mechanician (P/W) & Electrical Mechanician (R) Courses of Indian Navy conducted by INS Valsura for the purposes of employment under the Central Government for sub-ordinate posts as under:-

(a) Electrical Mechanician (Power) at par with Diploma in Electrical Engineering.

(b) Electrical Mechanician (Radio) at par with Diploma in Electrical Engineering.

(c) Electrical Mechanician (Weapon) at par with Diplima in Electrical Engineering.

This recognition will be effective from 1.1.1980.

SUNDER SINGH
Dy Educational Adviser (T) &
Member Secy, Board of
Assessment for Educational
qualifications

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 5th June, 1989

RESOLUTION

No. 1501/10/89-TV (I).—With a view to studying the various aspects of the establishment of Cable Television Networks and Dish Antennae System in the country and to make suitable recommendations, it has been decided by the Government to constitute, with immediate effect, an Inter-Departmental Committee consisting of:-

Chairman

(1) Joint Secretary (Broadcasing), Ministry of I&B

Members

(2) Joint Secretary (Films), Ministry of I&B

(3) Joint Secretary Deptt. of Culture, Ministry of Human Resource Development

(4) Joint Secretary, Department of Electronics

(5) Joint Secretary, Ministry of External Affairs

(6) A presentative of Deptt. of Space

(7) Wireless Adviser (WPC Wing), Ministry of Communications

(8) Dy. Director General (CS-II) Deptt. of Telecommunications

Member/Convenor

(9) Engineer-in-Chief, DG:Doordarshan

2. The terms of reference of the Committee will be :—

(i) to assess whether there is any need to provide for a more regulated growth of Cable TV Networks and Dish Antennae Systems in the country and, if so whether there is any deficiency in the existing laws to meet the situation and how best these could be strengthened and made more effective;

(ii) Desirability or otherwise of establishment of Dish Antennae Systems (with or without Cable Networking), having access to foreign satellites;

(iii) Grant of permission to Government/Semi-Government/Autonomous Bodies for establishment of Dish Antennae Systems to receive TV signals from foreign satellites for the benefit of foreign experts employed in these organisation; and

(iv) To study and make recommendations in regard to any other relevant or related issues.

The Committee will also take into account points of various interest groups such as Film Industry, Cable TV Network Owners, etc.

The Committee may co-opt members, if necessary.

3. The Committee will have its headquarters at New Delhi and will meet as often as considered necessary.

4. The Committee will submit its report to Government as soon as possible but within a period of six months from the date of its first meeting.

5. The Committee will devise its own work procedure.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SINHA, Jt. Secy.

New Delhi, the 31st May 1989

No. 315/3/89-F(P).—In partial modification of the Notification dated 10-5-89 constituting the Film Advisory Board, Bombay, it has been decided that the said Notification shall be effective from 15th May, 1989 and not from 10th May, 1989.

SMT. P. MOHAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989